<u>र</u>जिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-31122020-224030 SG-DL-E-31122020-224030

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 29, 2020/पौष 8, 1942[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 240No. 284]DELHI, TUESDAY, DECEMBER 29, 2020/PAUSHA 8, 1942[N. C. T. D. No. 240

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व—I) विभाग अधिसूचना

दिल्ली. 29 दिसम्बर. 2020

संख्या 68/2019-राज्य कर

सं.फा.3(67) / वित्त (राजस्व—I) / 2020—21 / डीएस—IV/254.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्निलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवाकर (आठवॉ संशोधन) नियम, 2019 है।
 - (2) ये नियम 13 दिसम्बर, 2019 को प्रवृत्त होंगे ।
- 2.दिल्ली माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 48 में उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-
 - "(4) बीजक को, सामान्य माल और सेवाकर इलेक्ट्रानिक पोर्टल पर इसमें अंतर्विष्टा सूचना को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुये, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपलोड करके बीजक संदर्भ संख्या प्राप्त करने के पश्चात प्ररूप जीएसटी आईएनवी—01 में अंतर्विष्ट ऐसी विशिष्टियों को सिम्मिलत करके, ऐसे रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग द्वारा तैयार किया जाएगा जो परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

6403 DG/2020 (1)

- (5) प्रत्येक बीजक, जो उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उपनियम (4) लागू किया गया है, जिसको उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट रीति से भिन्न किसी रीति से जारी किया है, को बीजक नहीं माना जाएगा।
- (6) उपनियम (1) और (2) के उपबंध उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट रीति से तैयार किए गए बीजक पर लागू नहीं होंगे।"।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर

मनोज कुमार, उप सचिव-IV (वित्त)

टिप्पणः मूल नियम दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग 4, में अधिसूचना, तारीख 22 जून, 2017 सं.फा. 3(10)/वित्त (राजस्व–1)/2017–18/डी.एस.VI/342, तारीख 22 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन स.फा. 3(17)/वित्त (राजस्व–1)/2020–21/डी.एस. IV/121 तारीख 15/10/2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 56/2019–राज्यकर, तारीख 15/10/2020के माध्यम से किया गया था।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 29th December, 2020

No 68/2019- State Tax

No. F.3(67)/Fin.(Rev-I)/2020-21/ DS-IV/ 254.—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 2019.
- (2) They shall come into force with effect from 13th December, 2019.
- 2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 48, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:-
- "(4) The invoice shall be prepared by such class of registered persons as may be notified by the Government, on the recommendations of the Council, by including such particulars contained in **FORM GST INV-01** after obtaining an Invoice Reference Number by uploading information contained therein on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be specified in the notification.
- (5) Every invoice issued by a person to whom sub-rule (4) applies in any manner other than the manner specified in the said sub-rule shall not be treated as an invoice.
- (6) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to an invoice prepared in the manner specified in sub-rule (4).".

By Order and in the Name of the

Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)

Note: The principal rules were published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide notification dated the 22ndJune, 2017, published vide No. F.3(10)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/342,, dated the 22ndJune, 2017 and last amended vide notification No. 56/2019 - State Tax, dated the 15/10/2020, published vide No.F.3(17)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/121, dated 15/10/2020.